

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं . 214]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 8, 2015/चैत्र 18, 1937

No. 214]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 8, 2015/CHAITRA 18, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2015

सं. 24/2015 – सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 269(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, एतद्वारा विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.05 के साथ प्रतिष्ठित पैरा 3.04 के अनुसार भारतीय योजना के तहत वाणिज्य-वस्तु निर्यात के अंतर्गत क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा जारी शुल्क जमा ऋची (यहां इसके बाद उक्त ऋची कही जाएगी) के एवज में जब वस्तुएं भारत में आयात की जाती हैं तो उनको निम्नलिखित से छूट प्रदान करती है,—

(क) संपूर्ण सीमा शुल्क जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (यहां इसके बाद उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम कहा जायेगा) की पहली अनुसूची के अंतर्गत उन पर लगाया जाने योग्य होता है; और

(ख) संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क जो कि उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उन पर लगाया जाने योग्य होता है।

2. यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, नामशः—

(1) यह कि उक्त ऋची में शुल्क तब जमा किया जाता है—

(क) जब विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के ऋरिशिष्टों तथा आयात निर्यात प्रऋत्रों के ऋरिशिष्ट 3ख में सूचीबद्ध अधिसूचित बाजारों को अधिसूचित वस्तुएं या उत्ऋादों का निर्यात किया जाता है;

(ख) जब ई-कॉमर्स मंच के माध्यम से विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के ऋरिशिष्टों तथा आयात निर्यात प्रऋत्रों के ऋरिशिष्ट 3ग में सूचीबद्ध अधिसूचित वस्तुओं या उत्ऋादों का निर्यात किया जाता है। ऐसे मामलों में शुल्क जमा राशि की गणना के लिए प्रति ऋरेषण एफ ओ बी मूल्य 25,000 रुऋए से अधिक नहीं ली जायेगी;

(2) यह कि विदेश व्यापार नीति के ऋराग्राफ 3.06 में विनिर्दिष्ट और यहाँ ऋर संलग्न सारणी में सूचीबद्ध निर्यात श्रेणियों या क्षेत्रों को निर्यात निष्ऋादन या इस योजना के अंतर्गत ऋात्रता की गणना के लिए नहीं गिना जाएगा:

(3) यह कि आयात और निर्यात उन समुद्री बंदरगाहों, विमानऋतनों अथवा इनलैंड कंटेनर डिऋो के माध्यम से अथवा उन भू-सीमा शुल्क स्टेशनों के जरिए से जिनका उल्लेख दिनांक 1 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना संख्या 16/2015 -सीमा-शुल्क की सारणी 2 में किया गया है अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन के माध्यम से किए जाते हैं:

बशर्ते कि सीमा शुल्क आयुक्त अऋने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विशेष आदेश द्वारा अथवा सार्वजनिक नोटिस द्वारा और उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन किसी अन्य समुद्री बंदरगाह, विमानऋतन, इनलैंड कंटेनर डिऋो अथवा भू सीमा शुल्क स्टेशन के माध्यम से आयात और निर्यात की अनुमति प्रदान कर सकते हैं:

बशर्ते आगे यह कि ई-कॉमर्स मंच के माध्यम से लेन-देन किए जाने वाले विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के ऋरिशिष्टों तथा आयात निर्यात प्रऋत्रों के ऋरिशिष्ट 3ग में सूचीबद्ध अधिसूचित वस्तुओं या उत्ऋादों का निर्यात चेन्नई, मुम्बई या दिल्ली में स्थित विमानऋतनों से कोरियर माध्यम के द्वारा या चेन्नई, मुम्बई या नई दिल्ली में स्थित विदेशी डाक खानों के माध्यम से किया जाता है;

(4) यह कि उक्त ऋची, उक्त ऋची ऋर उल्लिखित ऋंजीकरण ऋत्तन ऋर सीमाशुल्क प्राधिकारी के यहां ऋंजीकृत है;

(5) यह कि उक्त ऋची माल ऋर लगाने वाली इयूटी के डेबिट हेतु निकासी के समय उऋयुक्त सीमाशुल्क अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी तथा उऋयुक्त सीमाशुल्क अधिकारी इस छूट के अंतर्गत ऋहले ही डेबिट की गई राशि तथा अधिसूचना सं 20/2015 - केंद्रीय उत्ऋाद शुल्क दिनांक 08.04.2015 तथा अधिसूचना सं 10/2015 - सेवा कर दिनांक 08.04.2015 के तहत

डेबिट की गई राशि को ध्यान में रखते हुए इस छूट के बिना, माल पर लगने वाली इयूटी डेबिट करेगा;

(6) यह कि उक्त ऋची और वस्तुएं जो इसके अन्तर्गत आयात की गई हैं वह मुक्त रूप से हस्तांतरणीय होंगी;

(7) जहां आयातकर्ता उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत लगने वाले अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट का दावा नहीं करता है तो उसे संबंधित सीमाशुल्क की अतिरिक्त शुल्क की संगणना हेतु उक्त शुल्क से छूट का लाभ नहीं लेने वाला माना जाएगा;

(8) यह कि आयातकर्ता को उक्त ऋची में से डेबिट की गई राशि के एवज में उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के तहत उस पर लगने वाली सीमाशुल्क के प्रतिअदायगी की हकदारी होगी;

(9) यह कि आयातकर्ता को उक्त ऋची में से डेबिट की गई राशि के एवज में उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत लगने वाली अतिरिक्त इयूटी के प्रतिअदायगी अथवा सेनवेट क्रेडिट की हकदारी होगी;

(10) यह कि इस अधिसूचना के अंतर्गत उन मदों को लाभ उपलब्ध नहीं होगा जिन्हें विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के परिशिष्टों तथा आयात निर्यात प्रार्यों के परिशिष्ट 3क में सूचीबद्ध किया गया है।

स्पष्टीकरण.- इस अधिसूचना में -

- (I) "पूँजीगत वस्तुओं" का वही अर्थ है जो कि विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.08 में दिया गया है;
- (II) "विदेश व्यापार नीति" से अभिप्राय विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 से है जिसका प्रकाशन भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 01/2015-2020, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 समय-समय पर यथा संशोधित, के द्वारा किया है;
- (III) "वस्तुओं" का अर्थ ऐसे किसी निविष्टियां या वस्तुओं से है जिसमें पूँजीगत माल भी शामिल है।
- (IV) "आईटीसी (एचएस)" का वही अर्थ है जैसाकि विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.27 में नियत किया गया है।
- (V) "क्षेत्रीय प्राधिकारी" से अभिप्राय उस विदेश व्यापार महानिदेशक से है जिसकी नियुक्त विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के अंतर्गत की गई है या ऐसे अधिकारी से है जिसे उसके द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकार प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो।

	शुल्क जमा पर्ची की पात्रता के लिए अयोग्य निर्यात श्रेणीयां/क्षेत्र
i	निर्यातान्मुखी इकाइयों/ ई एच टी पी/बी टी पी/एस टी पी जो प्रत्यक्ष कर लाभ/छूट उठा रहे हैं;
ii	एस ई जेड इकाइयों को डी टी ए इकाइयों द्वारा आपूर्ति;
iii	आयातित वस्तुओं का निर्यात जो विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.46 के अंतर्गत आते हैं;
iv	पैरानौकाप्रेषण के जरिए निर्यात इसका अर्थ है कि निर्यात का उद्गम किसी तृतीय देश में हुआ है पर पारनौकाप्रेषण भारत के जरिए हुआ है;
v	मान्य निर्यात;
vi	एस ई जेड/ निर्यातान्मुखी इकाइयों/ ई एच टी पी/बी टी पी/ एफ टी डब्लू जेड उत्पाद जो डी टी ए इकाइयों द्वारा निर्यात किए जाते हैं;
vii	मदे जो निर्यात नीति में आई टी सी (एच एस) की अनुसूची-2 के अंतर्गत निर्यात के लिए प्रतिबंधित या निषिद्ध है जब तक विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के परिशिष्टों तथा आयात निर्यात प्रपत्रों के परिशिष्ट 3ख में विशिष्ट रूप से विनिर्दिष्ट न किया गया हो;
viii	सेवा निर्यात;
ix	लाल चंदन और समुद्र तट की रेत;
x	निर्यात उत्पाद जो कि न्यूनतम निर्यात मूल्य या निर्यात शुल्क के अधीन है;
xi	हीरा, सोना, चादी, प्लेटिनम, सामान्य और जड़ित आभूषण सहित किसी भी रूप में अन्य कीमती धातु तथा अन्य कीमती एवम अर्ध कीमती रत्न;
xii	सभी प्रकार के और सभी रूपों में अयस्क एवं सांद्र;
xiii	सभी प्रकार के अनाज;
xiv	सभी प्रकार की और सभी रूप में चीनी;
xv	सभी प्रकार और सभी संरूपणों में कच्चा/ पेट्रोलियम तेल तथा कच्चा/ प्राथमिक और आधारभूत उत्पाद;
xvi	दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों का निर्यात;
xvii	मांस तथा मांस उत्पादों का निर्यात;
xviii	उत्पाद जिनमें कीमती धातु/ हीरे का प्रयोग किया गया है या वस्तुएं जिनमें कीमती नग जड़ित होते हैं; और
xix	एफ टी डब्लू जेड की इकाइयों द्वारा किए गए निर्यात.

[फा. सं.605/55/2014-डी बी के]

संजय कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2015

No. 24 / 2015—Customs

G.S.R. 269(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods when imported into India against a duty credit scrip issued by the Regional Authority under the Merchandise Exports from India Scheme in accordance with paragraph 3.04 read with paragraph 3.05 of the Foreign Trade Policy (hereinafter referred to as the said scrip) from,—

(a) the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as said Customs Tariff Act); and

(b) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act.

2. The exemption shall be subject to the following conditions, namely :-

(1) that the duty credit in the said scrip is issued -

(a) against exports of notified goods or products to notified markets as listed in Appendix 3B of Appendices and Aayat Niryat Forms of Foreign Trade Policy 2015-2020;

(b) against exports of notified goods or products transacted through e-commerce platform as listed in Appendix 3C of Appendices and Aayat Niryat Forms of Foreign Trade Policy 2015-2020. In such cases the maximum free on board value, for calculation of duty credit amount, shall not exceed Rs.25,000 per consignment;

(2) that the export categories or sectors specified in paragraph 3.06 of the Foreign Trade Policy and listed in Table annexed hereto shall not be counted for calculation of export performance or for computation of entitlement under the scheme;

(3) that the imports and exports are undertaken through the seaports, airports or through the inland container depots or through the land customs stations as mentioned in the Table 2 annexed to the Notification No. 16/2015- Customs dated 01.04.2015 or a Special Economic Zone notified under section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005);

Provided that the Commissioner of Customs may within the jurisdiction, by special order, or by a Public Notice, and subject to such conditions as may be specified by him, permit import and export through any other sea-port, airport, inland container depot or through any land customs station:

Provided further that the exports of notified goods or products transacted through e-commerce platform as listed in Appendix 3C of Appendices and Aayat Niryat Forms of Foreign Trade Policy 2015-2020 are undertaken either through the courier mode from airports at Chennai, Mumbai or Delhi or through the Foreign Post Offices at Chennai, Mumbai or New Delhi;

(4) that the said scrip is registered with the Customs Authority at the port of registration specified on the said scrip;

(5) that the said scrip is produced before the proper officer of customs at the time of clearance for debit of the duties leviable on the goods and the proper officer of customs taking into account the debits already made under this exemption and debits made under the notification Nos. 20/ 2015 - Central Excise, dated the 8th April, 2015 and 10/ 2015 -Service Tax, dated the 8th April, 2015, shall debit the duties leviable on the goods, but for this exemption;

(6) that the said scrip and goods imported against it shall be freely transferable;

(7) that where the importer does not claim exemption from the additional duty of customs leviable under section 3 of the said Customs Tariff Act, he shall be deemed not to have availed the exemption from the said duty for the purpose of calculation of the said additional duty of customs;

(8) that the importer shall be entitled to avail of the drawback of the duty of customs leviable under the First Schedule to the said Customs Tariff Act against the amount debited in the said scrip;

(9) that the importer shall be entitled to avail drawback or CENVAT credit of additional duty leviable under section 3 of the said Customs Tariff Act against the amount debited in the said scrip;

(10) that the benefit under this notification shall not be available to the items listed in Appendix 3A of Appendices and Aayat Niryat Forms of Foreign Trade Policy 2015-2020.

Explanation. - In this notification -

(I) "Capital goods" has the same meaning as assigned to it in paragraph 9.08 of the Foreign Trade Policy;

(II) "Foreign Trade Policy" means the Foreign Trade Policy, 2015-2020, published by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry notification number 01/2015-2020, dated the 1st April 2015 as amended from time to time;

(III) "Goods" means any inputs or goods including capital goods;

(IV) "ITC (HS)" has the same meaning as assigned to it in paragraph 9.27 of the Foreign Trade Policy;

(V) "Regional Authority" means the Director General of Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorised by him to grant an authorisation including a duty credit scrip under the said Act.

TABLE

	Export categories or sectors ineligible for duty credit scrip entitlement
i	EOUs / EHTPs / BTPs /STPs who are availing direct tax benefits / exemption;
ii	Supplies made from DTA units to SEZ units;
iii	Export of imported goods covered under Para 2.46 of FTP;
iv	Exports through transshipment, meaning thereby that exports originating in third country but transshipped through India;
v	Deemed Exports;
vi	SEZ/EOU/EHTP/BPT/FTWZ products exported through DTA units;
vii	Items, which are restricted or prohibited for export under Schedule-2 of Export Policy in ITC (HS), unless specifically notified in Appendix 3B of Appendices and Aayat Niryat Forms of Foreign Trade Policy 2015-2020;
viii	Service Export;
ix	Red sanders and beach sand;
x	Export product which are subject to Minimum export price or export duty;
xi	Diamond, Gold, Silver, Platinum, other precious metal in any form including plain and studded jewellery and other precious and semi-precious stones;
xii	Ores and concentrates of all types and in all formations;
xiii	Cereals of all types;
xiv	Sugar of all types and all forms;
xv	Crude/ petroleum oil and crude/primary and base products of all types and all formulations;
xvi	Export of milk and milk products;
xvii	Export of Meat and Meat products;
xviii	Products wherein precious metal/diamond are used or Articles which are studded with precious stones; and
xix	Exports made by units in FTWZ.

[F. No. 605/55/2014-DBK]

SANJAY KUMAR, Under Secy.